धनराशि का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । इस काम में की गई वास्तविक प्रगति की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) योजनायें राज्य सरकारों, संघीय राज्य-क्षेत्रों के प्रशासन और अखिल भारतीय स्तर की कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं की एजेन्सियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं ।

स्त्रियों का अनैतिक पण्य

१०५९. **श्री राधा रमण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्त्री तथा कन्या अनैतिक पण्य अधिनियम, १९५६ के शेष उपबन्ध लागू किये जा चुके हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती अल्वा) : जी नहीं ।

सम्पत्ति के विवरण

१०६०. **श्री राधा रमण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अफसरों द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति के जो विवरण दिये जाते हैं उसके बारे में १९५६ और १९५७ में अब तक कितनी बार जांच कराई गई ; और

(ख) जो अफसर दूसरों के नाम से अचल सम्पत्ति खरीदते हैं उनका पता लगाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बातार) : (क) मांगी हुई सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम १९५५ के नियम १५(१) के अनुसार सरकारी कर्मचारी को उस अचल सम्पत्ति की सूचना सरकार को देनी होती है जो वह अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से खरीदना चाहता है । इसी के अनुसार, अधिकारी द्वारा दिये गये अचल सम्पत्ति के विवरण में वह सब सम्पत्ति शामिल होती है जो वह अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से खरीदता है । जब सरकार की जानकारी में कोई ऐसा मामला आता है कि किसी अधिकारी ने इस नियम का उल्लंघन किया है तो उस मामले की जांच करके, यदि आवश्यक हो, उस पर विभागीय कार्यवाही की जाती है ।

विशेष पुनर्गठन यूनिट

१०६१. **श्री चांडक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, १९५२ में जो विशेष पुनर्गठन यूनिट स्थापित किया गया था उसने चालू वर्ष में क्या कार्य किया है ;

(ख) १९५६ में और १९५७ में अब तक इस यूनिट की कितनी बैठकें हुईं और इस अवधि में कितने मंत्रालयों की समीक्षा की गई ;

(ग) इस यूनिट के कार्य से सरकार को अब तक क्या लाभ हुये हैं ; और

(घ) इस यूनिट के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते पर सरकार ने अब तक कितना खर्च किया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). विशेष पुनर्गठन एकक केन्द्रीय सरकार के उन कार्यालयों के कार्यों के सम्बन्ध में समीक्षा करता है जो इसके लिये निर्धारित किये जाते हैं । वह मितव्यय और कार्य कुशलता की दृष्टि से और कार्यालयों के उद्देश्यों और कार्यों को ध्यान में रखते हुये उनकी कार्यप्रणालियों का विश्लेषण और गठन का परीक्षण करता है । इस सम्बन्ध में सन् १९५७-५८ के बजट के

श्वेत पत्र के पैरा ६७ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें पुनर्व्यवस्थित विशेष पुनर्गठन एकक के कार्यों का पूरा स्पष्टीकरण किया गया है ।

सदन की मेज पर चार विवरण रख दिये गये हैं जिनमें उन कार्यालयों का उल्लेख है जिनकी समीक्षा एकक ने दिसम्बर, १९५६ के बाद की है और साथ ही यह भी बताया गया है कि उसने किस प्रकार के सुझाव दिये हैं और कार्यालय/मंत्रालय उन सुझावों से कहां तक सहमत है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५०**]

जब तक नयी कार्यप्रणाली का कुछ समय तक परीक्षण नहीं कर लिया जाता तब तक यह आंकना कठिन है कि व्यय में कितनी कमी हुई । लेकिन अधिकतर मामलों में तात्कालिक परिणाम यह निकला है कि जिन मन्त्रालयों विभागों ने प्रारम्भ में विस्तार के सुझाव रखे थे, जिनके लिये समीक्षा आवश्यक हुई, वे अब उनके बारे में आगे कार्यवाही नहीं कर रहे ।

(घ) १९५६–५७ तक लगभग १,७०,००० रुपये प्रतिवर्ष । १९५७–५८ में १,५०,००० रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

निजि फर्मों में अफसरों के आश्रित

१०६२. श्री चांडक : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी के अफसरों का जिन कार्यालयों अथवा निजी फर्मों से सम्बन्ध है उनमें उनके पुत्र, पुत्रियों और आश्रितों द्वारा नौकरी किये जाने पर लगाये गये प्रतिबन्ध सम्बन्धी मामलों की जांच करने के लिये क्या व्यवस्था है ;

(ख) १९५६ और १९५७ में ऐसी जांच कितनी बार कराई गई ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) सरकार के सामने अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया है जिसमें किसी प्रथम श्रेणी के अफसर ने अपने पुत्र, पुत्री या अन्य किसी आश्रित को किसी ऐसी फर्म में नौकरी करने के लिये सरकार से आज्ञा न ली हो जिसके साथ उसके खुद के सरकारी सम्बन्ध हों या जो सरकार से सम्बन्ध रखती हो । जब कभी भी सरकार के सामने ऐसा मामला आयेगा तो सम्बन्धित अफसर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी । इस काम के लिये कोई अलग व्यवस्था नहीं है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

हिन्दी सीखने के लिये पुरस्कार

१०६३. श्री चांडक : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी सीखने वालों को प्रोत्साहन देने के लिये गृह-कार्य मंत्रालय ने कितने रुपये के पुरस्कार दिये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : अनुमानतः उस योजना की ओर ध्यान दिलाया गया है जो १९५६ और १९५७ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये लीं गई हिन्दी परीक्षाओं के सफल उम्मीदवारों को नकद इनाम देने के लिये बनाई गई है ।

अभी तक कोई इनाम नहीं दिये गये हैं ; लेकिन जून १९५६ की हिन्दी प्रबोध और हिन्दी प्रवीण तथा जनवरी १९५७ की हिन्दी प्रबोध और हिन्दी प्राज्ञ परीक्षाओं के लिये लगभग ९,४०० रुपये की लागत के ११४ इनाम देने का विचार है ।